भारत सरकार

गृह मंत्रालय

राज्य सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या 1971

दिनांक 11.05.2016/21 वैशाख, 1938 (शक) को उत्तर के लिए

पर्यटकों की और श्रेणियों को ई-वीजा सुविधाएं प्रदान किया जाना

1971. श्री एस. थंगावेलुः

क्या **गृह मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या यह सच है कि सरकार ई-वीजा के माध्यम से बैठकों, प्रोत्साहनों, सम्मेलनों और आयोजनों को अनुमति देने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या यह भी सच है कि सरकार मार्च, 2016 में कुल 1.16 लाख आगन्तुकों के आने के बाद से पर्यटकों को और श्रेणियों को ई-वीजा संबंधी सुविधाएं प्रदान करने की योजना बना रही है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री **(श्री किरेन रिजिजू)**

(क) से (घ): भारत सरकार ने भारत आने वाले विदेशी पर्यटकों को सुविधा प्रदान करने के लिए दिनांक 27.11.2014 को ई-ट्यूरिस्ट वीजा सुविधा शुरू की है। प्रारंभ में, यह योजना 43 देशों के लिए शुरू की गई थी। तथापि, यह योजना अब, 150 देशों के लिए बढ़ा दी गई है।

वर्तमान में ई-ट्यूरिस्ट वीजा की सुविधा उन विदेशी राष्ट्रिकों के लिए उपलब्ध है जिनका भारत में आने का एकमात्र उद्देश्य मनोरंजन, दर्शनीय स्थलों की सैर, छोटी अवधि का चिकित्सीय उपचार, सामान्य व्यावसायिक यात्रा और मित्रों अथवा रिश्तेदारों से मिलने के लिए सामान्य यात्रा आदि है। ई-ट्यूरिस्ट वीजा में और अधिक श्रेणियों/ देशों को शामिल किया जाना एक सतत प्रक्रिया है जो स्टेकहोल्डरों के साथ यथोचित विचार-विमर्श के पश्चात किया जाता है।